भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 108**

दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अनुपूरक आहार**

**\*108. श्री जी॰सी॰ चन्द्रशेखरः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कतिपय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समेकित बाल विकास (आईसीडीएस) योजना के अन्तर्गत तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को विशेष प्रकार का नाश्ता और पकाया गया गर्म भोजन देकर अनुपूरक आहार प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम चला रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन से बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्‍तुत है ।

\*\*\*\*\*\*\*

**'समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अनुपूरक आहार' विषय पर श्री जी॰सी॰ चन्द्रशेखर द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 108 के उत्‍तर में संदर्भित विवरण**

(क) : पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) अम्‍ब्रेला समेकित बाल विकास सेवा की आंगनवाड़ी सेवा के अंतर्गत आंगनवाड़ियों के माध्‍यम से प्रदान की जाने वाली 6 सेवाओं में से एक है । पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्‍चों को आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध/केला/मौसमी फल/अल्‍प पोषक संपुष्‍ट भोजन आदि के रूप में सुबह का नाश्‍ता, दोपहर में गर्म पका हुआ खाना दिया जाता है । इसके अतिरिक्‍त, 6 माह से 6 वर्ष तक की आायु वर्ग के अत्‍यधिक कुपोषित बच्‍चों को घर ले जाने के लिए राशन के रूप में अतिरिक्‍त खाद्य पदार्थ निर्धारित किए गए हैं । आहारीय और पोषाहारीय मानक एक समान हैं, किंतु दिए जाने वाले भोजन की किस्‍म स्‍थानीय आहार आदतों के अनुसार अलग-अलग होती हैं । विभिन्‍न श्रेणी के बाल लाभार्थियों के लिए राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की अनुसूची-।। के अनुसार निर्धारित पोषाहारीय मानक इस प्रकार हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **श्रेणी** | **पोषाहारीय मानक****(एक महीने में 25 दिन के लिए प्रति लाभार्थी प्रतिदिन)** |
|  |  | कैलोरी (कैल) | प्रोटीन (ग्राम) |
| 1. | बच्‍चे(6-72 माह) | 500 | 12-15 |
| 2. | अत्‍यधिक कुपोषित बच्‍चे (6-72 माह) | 800 | 20-25 |

(ख) : पूरक पोषण के लिए नीचे दिए गए लागत मानक सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के लिए एक समान हैं :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **श्रेणी** | **दरें (प्रतिदिन प्रति लाभार्थी रुपये में)** |
|  1 | बच्‍चे   (6-72 माह) | 8.00 |
|  2 | गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं  | 9.50 |
|  3 | अत्‍यधिक कुपोषित बच्‍चे (6-72 माह) | 12.00 |

 किसी राज्‍य को अतिरिक्‍त सहायता का कोई प्रावधान नहीं है ।

(ग) : स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्‍याण मंत्रालय द्वारा 2015-16 में आयोजित राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-4 की हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के, 35.8% बच्‍चे अल्‍पवज़नी हैं और 38.4% बच्‍चे विकास अवरूद्ध हैं, जिससे वर्ष 2005-06 में आयोजित पिछले राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण – 3 के आंकड़ों में कमी परिलक्षित होती है, जिसके अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के 42.5% बच्‍चे कम वज़नी थे और 48% बच्‍चे विकास अवरूद्ध थे । तथापि, इस उपलब्‍धि का एकमात्र कारण आईसीडीएस के अंतर्गत दिया जा रहा नाश्‍ता नहीं हो सकता ।

\*\*\*

**स्‍थिति संख्‍या : 3**

**'समेकित बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत अनुपूरक आहार' विषय पर श्री जी॰सी॰ चन्द्रशेखर द्वारा दिनांक 20 दिसंबर, 2018 को पूछा जाने वाला राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 108**

**कार्यकारी सारांश**

**प्रश्‍न का बल :**

 श्री जी.सी. चंन्‍द्रशेखर, माननीय संसद सदस्‍य, राज्‍य सभा कर्नाटक राज्‍य से निर्वाचित हैं । राज्‍य सभा के पोर्टल से डाउनलोड उनके प्रोफाइल की प्रति **अनुलग्‍नक-क** के रूप में संलग्‍न है ।

 माननीय सांसद ने जानकारी मांगी है कि क्‍या कतिपय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समेकित बाल विकास (आईसीडीएस) योजना के अन्तर्गत तीन से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों को विशेष प्रकार का नाश्ता और पकाया गया गर्म भोजन देकर अनुपूरक आहार प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम चला रहे हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; इस प्रयोजनार्थ उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान की गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और क्या उक्त योजना के कार्यान्वयन से बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में कोई सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर का बल :**

आंगनवाड़ी सेवा स्‍कीम के अंतर्गत पूरक पोषण का प्रावधान मूलरूप से बच्‍चों और गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं के संस्‍तुत आहारीय भत्‍ते (आरडीए) तथा औसत रोज़ाना के आहार के बीच अंतर को समाप्‍त करने के लिए किया गया है ।

संशोधित पोषाहारीय और आहारीय मानकों के अनुपालनार्थ, जो फरवरी, 2009 से लागू किए गए हैं, राज्‍य सरकारें/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन लाभार्थियों को एक वर्ष में 300 दिन तक पूरक आहार प्रदान करते रहे हैं, जिसका अर्थ है आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले 3-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्‍चों को प्रतिदिन एक से अधिक बार खाना देना । इसमें दूध/केला/मौसमी फल आदि के रूप में सुबह का नाश्‍ता और दोपहर में गर्म पका हुआ खाना शामिल है । 3 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों तथा गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को पूर्व-मिश्रित/खाने के लिए तैयार भोजन के रूप में आयु के अनुरूप घर ले जाने वाला राशन दिया जाता है । इसके अतिरिक्‍त, 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के अत्‍यधिक कुपोषित बच्‍चों के लिए घर ले जाने वाले राशन के रूप में अतिरिक्‍त खाद्य पदार्थ संस्‍तुत हैं ।

सरकार ने राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लागू किया है । इस अधिनियम की धारा 4,5 तथा 6 आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत गर्भवती और शिशुवती माताओं तथा बच्‍चों की पोषाहारीय सहायता के संबंध में उनकी पात्रता से संबंधित हैं । उक्‍त अधिनियम की अनुसूची-।। के अनुसार 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्‍चों, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्‍चों तथा गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए पोषण संबंधी मानक इस प्रकार हैं :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **श्रेणी**  | **भोजन की किस्‍म**  | **कैलोरी (कैल)** | **प्रोटीन(ग्रा0)** |
| 1. | बच्‍चे (6 माह से 3 वर्ष) | घर ले जाने वाला राशन | 500 | 12-15 |
| 2. | बच्‍चे(3 से 6 वर्ष) | सुबह का नाश्‍ता और गर्म पका हुआ खाना | 500 | 12-15 |
| 3. | कुपोषित बच्‍चे (6 माह से 6 वर्ष)  | घर ले जाने वाला राशन | 800 | 20-25 |
| 4. | गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती माताएं | घर ले जाने वाला राशन | 600 | 18-20 |

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 39 के अनुसार केंद्र सरकार से नियमों को अधिसूचित करना अपेक्षित है । तदनुसार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उक्‍त अधिनियम की 4, 5, तथा 6 के संबंध में 20.02.2017 को पूरक पोषण (आईसीडीएस के अंतर्गत) नियम, 2017 अधिसूचित किए ।

6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्‍चे, गर्भवती महिलाएं तथा शिशुवती माताएं आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी स्‍कीम के अंतर्गत सेवाओं का लाभ उठाने की पात्र हैं । यह स्‍कीम सर्वसुलभ है तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी लाभार्थियों के लिए स्‍व-चयन पर आधारित है । 30.06.2018 की स्‍थिति के अनुसार देश में 1363300 आंगनवाड़ी केंद्रों में 88462078 लाभार्थी पंजीकृत हैं ।

आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लागत मानकों में अक्‍तूबर, 2017 में संशोधन किया गया और बढ़ी हुई दरें संबंधित राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा जारी अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हैं :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **श्रेणी**  | **पुरानी दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन रुपये में)** | **संशोधित दरें (प्रति लाभार्थी प्रतिदिन रुपये में)** |
|  1 | बच्‍चे   (6-72 माह) | 6.00 | 8.00 |
|  2 | गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं | 7.00 | 9.50 |
|  3 | अत्‍यधिक कुपोषित बच्‍चे 6-72 माह) | 9.00 | 12.00 |

पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए केंद्र और राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के बीच लागत की हिस्‍सेदारी का अनुपात विधानसभा रहित संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में 100:0, पूर्वोत्‍तर राज्‍यों और हिमालयी राज्‍यों के संबंध में – 90:10 – तथा विधानसभा वाले अन्‍य राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों के संबंध में 50:50 है । केंद्र का हिस्‍सा राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को तिमाही आधार पर निर्मुक्‍त किया जाता है 2017-18 के लिए सभी राज्‍यों/।संघ राज्‍य क्षेत्रों में पूरक पोषण कार्यक्रम के क्रियान्‍वयन के लिए सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को 790689.99 लाख रुपये की राशि निर्मुक्‍त की गई थी । मौजूद वर्ष में 15.12.2018 तक की स्‍थिति के अनुसार सभी राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को 608266.05 लाख रुपये की राशि निर्मुक्‍त की गई है ।

5 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों की स्‍वास्‍थ्‍य और पोषण स्‍थिति के संबंध में राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण-3 तथा राष्‍ट्रीय परिवार स्‍वास्‍थ्‍य सर्वेक्षण-4 के निष्‍कर्षों का तुलनात्‍मक अध्‍ययन इस प्रकार है :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | रा.प.स्‍वा.स.-3 (2005-06) | रा.प.स्‍वा.स.-4 (2015-16) |
| रक्‍ताल्‍प | 69.4% | 58.5% |
| कमवज़नी | 42.5% | 35.8% |
| विकास अवरूद्ध | 48% | 38.4% |
| दुर्बल | 19.8% | 21.0% |
| अत्‍यधिक दुर्बल | 6.4% | 7.5% |

विभिन्‍न राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किया जा रहा घर ले जाने वाला राशन/गर्म पका हुआ खाना/सुबह का नाश्‍ता दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्‍नक-ख** के रूप में संलग्‍न है ।

\*\*\*

**अनुलग्‍नक-ख**

**विभिन्‍न राज्‍यों द्वारा प्रदत्‍त पूरक पोषण**

| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम** | **आहार की किस्‍म** |
| --- | --- | --- |
| **घर ले जाने वाला राशन** | **गर्म पका खाना** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | चावल, दाल, तेल, अंडे | चवावल, आर.जी. दाल, तेल, सब्‍जियां, अंडे |
| 2. | अरुणाचल प्रदेश | अनाज पर आधारित दुग्‍ध मुक्‍त भोजन, खीर, सोयाबीन से संपुष्‍ट बिस्‍किट  | खिचड़ी (चाल, दाल, तेल और पत्‍तेदार सब्‍जियों का मिश्रण) |
| 3. | असम | चावल और पीले मटर के रूप में  | सुबह का नाश्‍ता - अंडे, स्‍थानीय रूप से उपलब्‍ध मौसमी फलगर्म पका हुआ खाना, पायस, सूज़ी, हल्‍वा |
| 4. | बिहार | चावल, दाल, सोया वड़ी, अंडे के रूप में  | आंगनवाड़ी विकास समिति द्वारा स्‍थानीय बाजार से खरीद |
| 5. | छत्तीसगढ़ | गेहूँ, सोयाबीन, चना, चीनी, सोयाबीन के तेल का मिश्रण | नाश्‍ता :- भीगे हुए और उबले हुए काले चने और गुड़, भूनी हुई मूंगफली और गुड़ गर्म पके हुए खाने में दाल, चावल तथा सब्‍जियां (भारत सरकार के कैलोरी और प्रोटीन मानकों के अनुसार) |
| 6. | गोवा | खाद्यान्‍न - (गुड़, चने की दाल, चावल, नमक, नाइलोन वटाना, घी, हरे मटर, रागी,ब्‍लैक चिक पीज़) | लड्डू, चने की दाल की मिठाई, मीठी इडली, हरे मटर उसल, मूंगफली चिक्‍की/लड्डू मूंग खिचड़ी या मूंग सूज़ी  |
| 7. | गुजरात | ऊर्जा से भरपूर लघु पोषक संपुष्‍ट “**बाल भोग**”- गेहूं, काला चना, वसा मुक्‍त सोयाबीन, खद्य तेल, चीनी  | ---- |
| 8. | हरियाणा | **पंजीरी -** (गेहूं आटा, घी, चीनी)**पौष्‍टिक पंजीरी -** (गेहूं आटा, घी, चीनी, मूंगफल, बेसन) | **भरवां** **पराठा -** गेहूं, घी, मौसमी सब्‍जी **आलू पूरी -** गेहूं, घी, आलू और मसाले **मीठा चावल –** चावल, पीसा हुआ सोयाबीन, चीनी**मीठा दलिया -** गेहूं के टुकड़े, चीनी, मूंगफली **पुलाव -** चावल, घी, मौसमी सब्‍जियां **गुलगुले/सेंवियां –** गेहूं का आटा, चीनी और घी |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | (6 माह – 3 वर्ष)न्‍यूट्रिमिक्‍स चावल का पुलाव/ खिचड़ी/ न्‍यूट्रिमिक्‍स के साथ मीठा दलिया | (3 -6 वर्ष आयु वर्ग के बच्‍चे तथा गर्भवती और शिशुवती माताएं)चावल का पुलाव/खिचड़ी, मीठा दलिया, नमकीन दलिया, मीठा चावल  |
| 10**.** | जम्मू-कश्मीर | मिश्रित रूप में(चना, मूंगी, न्‍यूट्री, नमक, दलिया, इ-ऑयल स्‍कीम्‍ड मिल्‍क आदि) | जम्‍मू मंडल सेविंया, तेल में भूना हुआ चना, हलवा, खिचड़ी, बिस्‍किट, न्‍यूट्री कश्‍मीर मंडलबिस्‍किट, चने का पुलाव, खिचड़ी, मटर पुलाव, मटर पुलाव, दलिया, हलवा, चना |
| 11. | कर्नाटक | चावल, गेहूं, हरे चने, काले चने, गुड़, मूंगफली का खाने के लिए तैयार मिश्रण | ----- |
| 12. | केरल | घर ले जाने वाला राशन जिसे स्‍थानीय रूप घर ले जाने वाला राशन, जिसे “अमृतम न्‍यूट्रिमिक्‍स” कहा जाता है, में गेहूं, चीनी, काले चने, सोया के दाने और मूंगफली शामिल होते हैं  | ----- |
| 13. | मध्य प्रदेश | **“बाल आहार” -** गेहूं, सोयाबीन, चने, मक्‍की का आटा, चीनी और सोयाबीन तेल का मिश्रण | नाश्‍ता पौष्‍टिक खिचड़ी, थुली, मीठी लस्‍सीदोपहर का खाना रोटी, सब्‍जी, तूर की दाल, खीर पूरी, मूंग की वड़ी, आलू टमाटर की सब्‍जी चने की दाल, मिलीजुली सब्‍जी, चावल/पुलाव, कड़ी-पकौड़ा, मूंग दाल, हरे मटर (ताज़ा अथवा सूखे हुए)पराठा, मौसमी हरी सब्‍जियां, मिश्रित दाल,  |
| 14. | मणिपुर | चावल, दाल, खाद्य तेल - बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुवती माताओं को  | आटा, ओया, लड्डू या पत्‍तेदार सब्‍जियों से बनी खिचड़ी या मिस्‍सी रोटी या पेठे का हलवा, अंकुरित दाल चाट या खीर या आटे मूंगफली का हलवा  |
| 15. | मेघालय | काले चने, मूंगफली, अंडे, चावल की चाली, शकरगंदी, सोयाबीन, राजमा, काबूली चना, गुड़, काला चना, बिस्‍कुट/दूध  | ------ |
| 16. | मिजोरम | दूध से बने खाद्य पदार्थ  | **नाश्‍ता** : अधिक प्रोटीन वाले बिस्‍किट, भूनी हुई मूंगफली, ताजा फल **दोपहर के खाने -** खिचड़ी, पराठा और चना, सूजी का हलवा  |
| 17. | नागालैंड | खाना पकाने के लिए  | नाश्‍ते : बिस्‍किट, खीर, चावल दोपहर का खाना : बिस्‍किट, कार्नफ्लैक्‍स, बाल भोग, खीर,  |
| 18. | ओडिशा | **चाटुआ** - गेहूं काला चना, मूंगफल, चीनी, **रासी लड्डू**  | **सामान्‍य बच्‍चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं के लिए** - उबले हुए दो अंडे**अत्‍यधिक कुपोषितों के लिए** - 100 ग्राम के रासी लड्डू के एक पैकेट के साथ उबले हुए दो अंडे  |
| 19. | पंजाब | **पंजीरी**- (बेसन, घी, चीनी और लघु पोषक **खीर, मीठा दलिया**(6 माह से 3 वर्ष तक के बच्‍चे तथा गर्भवती और शिशुवती माताएं) | (3 से 6 वर्ष तक के बच्‍चे)नाश्‍ता : हलवा और दूध दोपहर का खाना : पंजीरी, खीर, मीठा दलिया, हलवा  |
| 20. | राजस्थान | पाउडर के रूप में  | सुबह का नाश्‍ताचावल तथा गुड़ के साथ भूने हुए चने, हलवा दोपहर का खाना 1. खिचड़ी2. दलिया |
| 21. | सिक्किम | खाने के लिए तैयार पाउडर के रूप में | रोज़ाना दूध (नाश्‍ता) दोपहर का खाना (5 दिन खिचड़ी, एक दिन खीर) |
| 22. | तमिलनाडु | **दूध छुड़ाने के लिए आहार** - गेहूं/मकई/बाजारा, माल्‍ट मिश्रित रागी का आटा, काले चने, गुड़, लघु पोषक तत्‍व  | ----- |
| 23. | तेलंगाना | भूना हुआ गेहूं, काला चना, दूध का पाउडर, चीनी और तेज  | चावल, दाल, तेल, सब्‍जियां और स्‍नैक्‍स, अंडे |
| 24. | त्रिपुरा | ----- | खिचड़ी - 60 ग्राम चावल, 30 ग्राम दाल तथा कटी हुई सब्‍जियों से निर्मित (बच्‍चों के लिए) 110 ग्राम चावल तथा 55 ग्राम दाल से निर्मित **(गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए**) |
| 25. | उत्तराखंड | कच्‍ची सामग्री | नाश्‍ते भूना हुआ चना, हलवा (आटे और सूजी), भूनी हुई मूंगफली, पोहा, उबला हुआ चना **दोपहर का खाना**दाल, चावल, न्‍यूट्रिला, नमकीन पराठा, दलिया, मिश्रित दाल और खिचड़ी  |
| 26. | उत्तर प्रदेश | दूध छुड़ाने के लिए ऊर्जा युक्‍त आहार (प्रसंस्‍कृत गेहूं का आटा, चावल का आटा, मक्‍की का आटा, सोया आटा, पीसी हुई चीनी, खाद्य तेल, पूर्व मिश्रित विटामिन तथा मिनरल) | मीठा दलिया, हलवा, खिचड़ी, तहरी |
| 27. | पश्चिम बंगाल | ----- | कुपोषित बच्‍चों के लिए एक पूरा उबला हुआ अंडा, चावल की खिचड़ी - चावल, मसूर दाल, मौसमी सब्‍जियां, सोयाबीन, सरसों का तेल और आयोडीन युक्‍त नमक  |
| 28. | दिल्ली | पूर्व मिश्रित रूप में पंजीरी (पाउडर तथा पका हुआ भोजन और नाश्‍ता) | ---- |
| 29. | लक्षद्वीप | कच्‍ची सामग्री(चावल, हरा चना और काला चना) | चाय और स्‍नैक्‍स, चावल और सब्‍जी, उबला हुआ अंडा तथा चावल, चावल व सांभर, दूध का पाउडर तथा उपमा, रागी पायसम, फिश करी, गेहूं पायसम, चावल तथा हरे चने, उपेरी  |

\*\*\*\*\*